प्रह्लाद
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य।

आपराधिक अपील संख्या 2009 का 2043
दिनांक 27 जुलाई, 2022

[बीआर गवईएवं पी.एस. नरसिम्हा न्यायाधीशगण .]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2043/2009

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या- 247/1993 संग आपराधिक अपील संख्या- 983/2010 में दिनांक 11/05/2009 को पारित आदेश एवं निर्णय के विरुद्ध ।

अपीलार्थी की ओर से विवेक के. तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. के. सतीजा, आर. के. यादव, विपुल तिवारी, इन्द्रदेव सिंह, सुश्री अनिशा उपाध्याय, वैभव कालरा, सुश्री शर्मिला उपाध्याय ।

प्रतिवादी की ओर से अभिनव श्रीवास्तव, सनी चौधरी ।
अभियोक्ता की ओर से एच.बी. हिना, श्रीमति बी. सुनिता राव

न्यायालय का निर्णय बी.आर. गवई. न्यायाधीश द्वारा दिया गया ।

1. ये दोनों अपीलें 1993 की आपराधिक अपील संख्या 247 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 11 मई, 2009 के फैसले और आदेश को चुनौती देती हैं, जिससे प्रतिवादी मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील को अनुमति मिलीतथा 9 नवंबर, 1992 केइस अपीलकर्ता कोदोषमुक्त करने के आदेश को उलट दिया गया, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (इसके बाद "विद्वान सत्र न्यायाधीश" के रूप में संदर्भित) ने 1991 के सत्र परीक्षण संख्या 207 के संबंध में दर्ज किया था।

2. विवरण के अभाव में, वर्तमान अपीलों से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 22 जून 1991 को पुलिस थाना, हरदा को शाम 4.25 बजे डॉ. कैलाश नारायण सिंघल (पीडब्लू10) से एक लिखित सूचना (प्रदर्श पी10) प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि रमेश पुत्र रामगोपाल जाट, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी छोटी हरदा गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। उक्त लिखित सूचना (प्रदर्श पी10) में बताया गया कि रमेश पर कट्टा गोली से हमला किया गया। उक्त लिखित सूचना के आधार पर, पुलिस स्टेशन हरदा ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध

क्रमांक 153/1991 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में "एफआईआर") दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने पर, श्री एमके श्रीवास्तव, नगर निरीक्षक, पुलिस स्टेशन प्रभारी (पीडब्लू17) ने घटना स्थल का दौरा किया। डॉ. कैलाश नारायण सिंघल (पीडब्लू10) और डॉ. राजेंद्र कुमार पटेल (पीडब्लू14) ने घायल रमेश को प्राथमिक उपचार प्रदान किया और उसे आगे के इलाज के लिए इंदौर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालाँकि, इंदौर ले जाते समय रमेश की मृत्यु हो गई और उसके शव को वापस हरदा लाया गया, जहाँ 23 जून 1991 को मर्ग क्रमांक 18/1991 दर्ज किया गया और मृतक का पोस्टमॉर्टम किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक रमेश की मौत का कारण बंदूक की चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव था।

2.2 अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि मृतक रमेश की तीन आरोपियों, यानी मोहन (अभियुक्त नंबर 1), प्रह्लाद (अभियुक्त नंबर 2) और जगदीश (अभियुक्त नंबर 3) के साथ राजनीतिक दुश्मनी थी। अभियोजन पक्ष का यह भी कहना था कि तीनों आरोपियों ने मृतक को ख़त्म करने की साजिश रची थी। मोहन (आरोपी नंबर 1) और प्रहलाद (आरोपी नंबर 2) ने हंडिया बस स्टैंड के पास पहुंचने के लिए जगदीश (आरोपी नंबर 3) की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था, जहां थोड़ी दूरी से मृतक पर गोली चलाई गई थी।

2.3 जांच के निष्कर्ष पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा की अदालत में एक आरोप पत्र दायर किया गया। चूंकि मामला सिर्फ सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए इसे विद्वान सत्र न्यायाधीश को सुपुर्द कर दिया गया।

2.4 आईपीसी की धारा 120 बी और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोप तय किए गए और वैकल्पिक रूप से, आईपीसी की धारा 302 सपठित 34 और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 और 27 केदंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए।

2.5 अभियुक्त ने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों को दोषी साबित करने के लिए 17 गवाहों से पूछताछ की। उनका बचाव यह था कि गांव में दलगत राजनीति के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया था। मुकदमे के समापन पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इस तरह, तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

2.6 इससे व्यथित होकर प्रतिवादी मध्य प्रदेश राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा, हालांकि जगदीश (अभियुक्त संख्या 3) को दोषमुक्त करने के

आदेश की पुष्टि की, तथापि, वर्तमान अपीलकर्ताओं, अर्थात, मोहन (अभियुक्त संख्या 1) और प्रह्लाद (अभियुक्त नं 2) को दोषमुक्त करने के आदेश को उलट दिया। उच्च न्यायालय ने उन्हें आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जहां तक शस्त्र अधिनियम , 1959 के तहत अन्य आरोपों के लिए वर्तमान अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त करने का सवाल है, इसकी पुष्टि की गई थी।

3. इससे व्यथित होकर उपस्थित व्यक्ति अपील करता है।

4. हमने आपराधिक अपील संख्या 2043/2009 में अपीलकर्ता प्रह्लाद की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विवेक के तन्खा तथा आपराधिक अपील संख्या 983/2010 की में अपीलकर्ता मोहन की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री अनीशा उपाध्याय, तथा प्रतिवादी राज्य मध्य प्रदेश की ओर से उपस्थित विद्वान वकील अभिनव श्रीवास्तव को सुना ।

5. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विवेक के. तन्खा का कहना है कि उच्च न्यायालय ने विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषमुक्त करने के तर्कसंगत आदेश को उलटने में भारी गलती की है। उन्होंने कहा कि अभियोजन मामले में स्पष्ट विरोधाभास और खामियां हैं । यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने भी पाया है कि अभियोजन बहुत ही घटिया तरीके से चलाया गया था। हालाँकि, कोई सबूत नहीं होने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त करने के तर्कसंगत आदेश को दोषसिद्धि में बदल दिया।

6. श्री तन्खा ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने के लिए एक कथित प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू 2 महेश के साक्ष्य पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया है कि पी.ड्ब्लू. 2 महेश की गवाही की पुष्टि आरोपी व्यक्तियों से मोटरसाइकिल और कट्टा की बरामदगी से हुई थी। आगे यह भी कहा गया है कि मोटरसाइकिल और कट्टा दोनों की जब्ती/बरामदगी कानून के तहत टिकाऊ नहीं है।

7. श्री तन्खा ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों के अवलोकन से स्वयं पता चल जाएगा कि यद्यपि गवाहों के बयान 23 जून, 1991 को दर्ज किए गए थे, लेकिन अभियोजन द्वारा उन्हें रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा कहानी के तीन अलग-अलग संस्करण स्थापित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मृतक रमेश के पोस्टमॉर्टम की मांग से पता चलता है कि मांग में यह उल्लेख किया गया है कि जगदीश (अभियुक्त नंबर 3) ने मृतक रमेश पर कट्टा से हमला किया था।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री तन्खा ने प्रस्तुत किया कि इन सभी विसंगतियों को देखते हुए, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया था। उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त करने के तर्कसंगत आदेश को पलट कर पूरी तरह से गलती की है और वह भी बिना कोई कारण दर्ज किए।

9. सुश्री अनीशा उपाध्याय, विद्वान वकील ने श्री विवेक के. तन्खा, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों को अपनाया और प्रस्तुत किया कि दोनों अपीलें अनुमति देने योग्य हैं।

10. प्रतिवादी राज्य मध्य प्रदेश की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अभिनव श्रीवास्तव ने प्रस्तुत कियाकि उच्च न्यायालय ने पाया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश विभिन्न प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहे हैं। उनका कहना है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विभिन्न प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वे मृतक से संबंधित थे और उनके आरोपी व्यक्तियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे। उन्होंने कहा कि केवल इसलिए कि गवाह इच्छुक गवाह हैं, मृतक से संबंधित होने के कारण, यह उनकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है, जो अन्यथा भरोसेमंद है। उन्होंने आगे कहा कि चश्मदीद गवाहों की आंखों की गवाही आरोपी व्यक्तियों के कहने पर की गई बरामदगी से विधिवत पुष्ट होती है।

11. विद्वान वकील श्री अभिनव श्रीवास्तव ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि जांच में खामियां हैं, यह आरोपी को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है, जब रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आरोपी की ओर अपराध की उंगली उठाते हैं। इसलिए विद्वान वकील का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपीलें खारिज की जा सकती हैं।

12. हम जानते हैं कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। जब तक अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण या तो विकृत या असंभव है, तब तक दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। समान रूप से, यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और अपीलीय न्यायालय को दूसरा दृष्टिकोण अधिक संभावित लगता है, तो वह दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि उसे यह न पता चल जाए कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक असंभव दृष्टिकोण है। इस संबंध में ***गुरुदत्त पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य***के मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है , जिसमें इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर इस न्यायालय के विभिन्न पूर्व निर्णयों पर विचार किया है।

13. इस कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, हमें उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की सत्यता की जांच करनी होगी।

14. सबसे पहले, यह उल्लेख किया जा सकता है कि आरोपी व्यक्ति मृतक की मृत्यु के मानव वध होने के तथ्य पर विवाद नहीं कर रहे हैं। हालांकि, आरोपियों का तर्क है कि उन्हें राजनीतिक दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है।

15. आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त करने के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा जिन कारकों पर विचार किया गया था, उन्हें उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में हटा दिया है। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

> "(i) प्रत्यक्षदर्शी न केवल संबंधित गवाह थे बल्कि आकस्मिक गवाह भी थे। कथित प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में महत्वपूर्ण चूक और विरोधाभास थे। अपने केस डायरी के बयान में यह कहने के बाद भी कि रमेश को 4 से 5 कदम की दूरी से गोली मारी गई थी, प्रत्यक्षदर्शियों ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के आलोक में स्पष्ट रूप से अपनी शपथ गवाही में बयान बदल दिया और कहा कि गोली लगभग 18 इंच की दूरी से चलाई गई थी।प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उनमें से किसी के द्वारा पुलिस या डॉ. कैलाश नारायण (पीडब्लू10) को संबंधित जानकारी क्यों नहीं दी गई।
>
> (ii) हालाँकि, सीताबाई (पीडब्ल्यू 3) ने कहा था कि उसने अस्पताल में एक पुलिस अधिकारी को घटना के बारे में बताया था, फिर भी पोस्टमॉर्टम के अनुरोध पत्र में, बंदूक की गोली चलाने वाले के रूप में जगदीश का नाम लिखा गया था।
>
> (iii) मर्ग जांच के दौरान एएसआई पीएन भारती (पीडब्लू16) द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर नहीं रखे गए थे।
>
> (iv) बस स्टैंड पर स्थित होटल और दुकानों के मालिक घटना के स्वाभाविक और संभावित गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्हें साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया और ठेला खींचने वाले से पूछताछ नहीं की गई।
>
> (v) हालांकि शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया, अभियोजन पक्ष के संस्करण को खारिज करने के लिए अन्य चश्मदीदों के सबूतों का खंडन करने वाले नारायण (पीडब्लू4) और छीतर (पीडब्लू7) के बयान को ध्यान में रखा जा सकता है।
>
> (vi) मृतक के करीबी रिश्तेदार राम अवतार (पीडब्लू 13) द्वारा रमेश की हत्या की साजिश में ए 3 की संलिप्तता के सबूत, विश्वास को प्रेरित नहीं करते थे। मोटरसाइकिल जगदीश की साबित नहीं हुई।

(vii) जांच अधिकारी के नरम रुख और उदासीन रवैये से जांच खराब हो गई थी।हालाँकि, उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज करने के तुरंत बाद घटनास्थल का दौरा करने का दावा किया था, लेकिन घटनास्थल से खून और अन्य सामान की बरामदगी न होना और स्पॉट मैप तैयार न होना उनके बयान को पूरी तरह से खारिज कर देता है। रोज़नामचा में संबंधित प्रविष्टियों में सामग्री प्रक्षेप थे। इन प्रविष्टियों के साथ-साथ जाँचअधिकारी एम.के.श्रीवास्तव (पीडब्लू17) द्वारा की गई स्वीकारोक्ति भीदर्शाते हैं कि घटना में कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल थे।

16. उच्च न्यायालय, उपरोक्त टिप्पणियाँ करने के बाद, गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा करता है। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 में कहा कि यदि अभियोजन का मामला अन्य ठोस सबूतों द्वारा स्थापित किया गया है, तो एक दोषपूर्ण जांच अपने आप में दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकती है। ***धनज सिंह उर्फ शेरा और अन्यबनाम पंजाब राज्य***[i], के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले में एकमात्र आवश्यकता यह है कि न्यायालय को साक्ष्य के मूल्यांकन में सतर्क रहना होगा।

17. इसके बाद, पैराग्राफ 34 में उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"34. ए-1 द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के अनुसार कट्टा और मोटरसाइकिल की बरामदगी को साबित करने के लिए चुने गए पंच गवाह भी वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं थे। रामदीन (पीडब्लू8) ए 3 का चचेरा भाई है, ए 1 का मामा है, जो ए 2 का असली चाचा है। हरि राम (पीडब्लू9) को भी रमेश के प्रति द्वेष था क्योंकि, माना जाता है कि, उसे रमेश के भाई रामदीन को गंभीर चोट पहुँचाने के लिए आईपीसी की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया गया था। इन परिस्थितियों में, कट्टा और मोटरसाइकिल की बरामदगी के संबंध में एमके श्रीवास्तव (पीडब्लू17) की गवाही को अस्वीकार करना संभव नहीं था। उनके अनुसार, उन्होंने ए-1 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ज्ञापन (Ex.P4) तैयार किया और ए-1 की निशानदेही पर ही एक देशी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद की। इस प्रकार, जब्त किए गए कट्टे को तथा मृतक के छर्रों और कपड़ों को सर्जन डॉ. राजेंद्र कुमार पटेल (पीडब्लू14) द्वारा संरक्षित करके फोरेंसिकजांच के लिए भेजा गया था। बैलिस्टिक विशेषज्ञ डॉ. जे.के.अग्रवाल ने निश्चित रूप से कहा कि बंदूक की गोली से मृतक की शर्ट और बनियान में छेद होने का कारण कट्टा से फायर करना हो सकता है। यह भी देखा गया कि छर्रे कट्टा के माध्यम से दागे जाने में सक्षम 12 बोर कारतूस के अनुकूल थे।

35. संक्षेप में कहें तो, ए-1 और ए-2 के विरुद्धरमेश की मौत के लिए उनके संबंधित प्रत्यक्ष कृत्यों के संबंध में, भारी सबूतों को खारिज करने के लिए विद्वान ट्रायल जज द्वारा बताए गए कोई भी कारण स्वीकृति के योग्य नहीं है।

18. इसके बाद, आक्षेपित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 36 से 40 में, उच्च न्यायालय ने आरोपी नंबर 3 जगदीश की मिलीभगत के खिलाफ प्रतिवादी राज्य के मामले पर विचार किया और पैराग्राफ 41 में इस प्रकार देखा:

"41. इस प्रकार, हालाँकि रमेश की हत्या में ए-3 की संलिप्तता को उचित संदेह से परे अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है, अपराध के लिए ए-1 और ए-2 को दोषमुक्त करना उचित नहीं था। स्पष्ट तर्क यह है कि भले ही यह निष्कर्ष निकाला गया हो कि इच्छुक गवाह काफी दूरी पर खड़े होकर घटना को देखने में सक्षम नहीं थे, प्रत्यक्षदर्शी महेश की गवाही एवं ए 1 से जब्त बंदूक और उसकी बरामदगी के संबंध में चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है तथा उसके पास से मोटरसाइकिल की बरामदगी ए-1 और ए-2 की मिलीभगत साबित करने के लिए पर्याप्त थी और जांच अधिकारी की स्पष्ट ढिलाई के कारण अभियोजन मामले में हुई कुछ विसंगतियों का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सका। फिर भी, शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में उनका दोषमुक्त होना इस तथ्य के मद्देनजर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है कि डीएम द्वारा दी गई अभियोजन मंजूरी साबित नहीं हुई थी।

19. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने कट्टा और मोटरसाइकिल की जब्ती से पुष्टि की गई पीडब्लू2 महेश की गवाही के आधार पर आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोषमुक्त करने के आदेश को सजा के आदेश में बदल दिया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी नंबर 1 मोहन द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर इसे जब्त/बरामद किया गया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि पंच गवाह स्वतंत्र नहीं थे, और फिर भी उसने पी.ड्ब्लु. 17 एस.के. श्रीवास्तव (आईओ) की गवाही पर उन बरामदगी पर विश्वास किया।

20. उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 35 में विशेष रूप से देखा कि, रमेश की मौत के लिए उनके संबंधित प्रत्यक्ष कृत्यों के संबंध में आरोपी नंबर 1 मोहन और आरोपी नंबर 2 प्रह्लाद के खिलाफ भारी सबूतों को खारिज करने के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा बताए गए कारणों में से कोई भी, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

21. उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की सत्यता की जांच करने के लिए, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच करना उचित होगा।

22. जहाँ तक पीडब्लू1 हर नारायण, पीडब्लू3 सीता बाई, क्रमशः मृतक रमेश के भाई और भाभी, और पीडब्लू5 हरि प्रसाद, सीता बाई (पीडब्लू3) के भाई के साक्ष्य का संबंध है, उच्च न्यायालय ने स्वयं देखा है कि यह संभव नहीं है कि वे घटना को उस स्थान से देख सकते थे जहां वे कथित तौर पर खड़े थे। ऐसे में उनकी आंखों देखी गवाही पर चर्चा करना जरूरी नहीं होगा।

23. उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से पी.ड्ब्लु. 2 महेश की गवाही पर भरोसा किया। पी.ड्ब्लू. 2 महेश का कहना है कि घटना की तारीख पर, वह, हर नारायण (PW1), रमेश और नारायण उर्वरक खरीदने के लिए हरदा गए थे। उन्होंने कहा कि, इसके बाद, सीता बाई (पीडब्लू 3) भी उनके साथ शामिल हो गईं और नया बाजार से, वे सभी हंडिया बस स्टैंड की ओर जाने लगे। उनका कहना है कि, इसके बाद, वह और मृतक रमेश एक कप चाय पीने के लिए मामा होटल गए। शेष लोग उक्त होटल के पार सड़क के दूसरी ओर इंतजार कर रहे थे। चाय पीने के बाद जब वे होटल से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने आरोपी नंबर 2 प्रहलाद को मोटरसाइकिल पर हंडिया की ओर से आते देखा। आरोपी नंबर 1 मोहन पीछे की सीट पर बैठा था। आरोपी नंबर 1 मोहन ने मृतक रमेश के पेट में करीब एक फीट की दूरी से गोली मारी. इसके बाद आरोपी नंबर 2 प्रह्लाद और आरोपी नंबर 1 मोहन उक्त मोटरसाइकिल से हंडिया की ओर भाग गये। उन्होंने बताया कि इसके बाद घायल रमेश को हाथ से खींचे जाने वाले ठेले पर लादकर सरकारी अस्पताल लाया गया। घायल रमेश को ऑपरेशन थियेटर ले जाया गया. आधे घंटे बाद घायल रमेश को ऑपरेशन रूम से बाहर निकाला गया. इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर रमेश को अपने साथ इंदौर अस्पताल ले जाया गया। उसके साक्ष्यों में भौतिक विरोधाभास और सुधार हैं।

24. यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि यह पी.ड्ब्लु. 2 महेश ही था जो मृतक रमेश को अस्पताल लाया था, जो उसके साथ तब था जब उसे इंदौर ले जाया जा रहा था और साथ ही रास्ते में मृतक रमेश की मृत्यु हो जाने के बाद हरदा लौटते समय भी वह उसके साथ था।

25. इस समय, प्रदर्शनी पी15 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो पोस्टमॉर्टम की मांग पत्र है। उक्त मांग पत्र में, निम्नलिखित का समर्थन किया गया है:

> "सर, श्री जगदीश पुत्र शिवराम जाट, निवासी छोटी हरदा द्वारा कट्टा लगाने से रमेश पुत्र रामगोपाल जाट, निवासी छोटी हरदा की मृत्यु हो गई।"

26. इस पृष्ठभूमि में, पीडब्लू 2 महेश के जिरह में दिए गए निम्नलिखित बयानों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा:

"14. जिस दिन मेरा बयान दर्ज किया गया वह सिर्फ मेरा था. यह कहना गलत है कि मेरा बयान 26 तारीख को दर्ज किया गया था। खुद कहा कि यह 23 तारीख को सुबह दर्ज किया गया था। मेरा बयान शाम 7 बजे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।"

27. इस तरह साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनका बयान 26 तारीख को दर्ज किया गया था. उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उनका बयान 23 तारीख को सुबह 7 बजे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.

28. PW17MK श्रीवास्तव (आईओ) ने अपनी जिरह में इस प्रकार स्वीकार किया है:

"47. रोज़नामचा दिनांक 23.06.1991 में जांच के दौरान लिए गए गवाह नारायण, महेश, हरिनारायण, सीताबाई और कैलाश के बयानों का कोई उल्लेख नहीं है। 23.06.1991 को इस मामले के संबंध में कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। 24.06.1991 को रोजनामचा में गवाह छितर, रामअवतार और बाबूलाल के बयान दर्ज करने की प्रविष्टियों का कोई उल्लेख नहीं है । इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है । रोज़नामचा में प्रवेश सुबह 6 बजे शुरू हुआ और दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक जारी रहा। और 24 घंटे में जो भी कार्यवाही की जा रही है उसका जिक्र उसमें किया जा रहा है. जांच के दौरान मैंने केवल एक बार गवाहों के बयान दर्ज किये । मैं अपने साथ रोजनामचा प्रविष्टि क्रमांक 1490 दिनांक 26.06.91 लाया हूं। इस रोज़नामचा प्रविष्टि पर इस मामले की रिपोर्ट के बारे में उल्लेख है जो कि Ex.D8 है। उसी की प्रति Ex. डी8 (सी)।"

29. इस प्रकार उनके साक्ष्य से स्पष्ट है कि 23 जून 1991 के रोज़नामचा में जाँच के दौरान लिये गये गवाहों के बयानों का कोई उल्लेख नहीं है। आगे यह भी स्वीकार किया गया कि, उक्त तिथि पर, इस मामले के संबंध में कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि 24 जून 1991 को रोजनामचा में गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रविष्टियों का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि रोज़नामचा में प्रवेश 26 जून 1991 की सुबह 6 बजे शुरू हुआ और दूसरे दिन यानी 27 जून 1991 की सुबह 6 बजे तक जारी रहा।

30. रोज़नामचा प्रविष्टियों का अवलोकन एक दिलचस्प अध्ययन होगा। रोज़नामचा प्रविष्टि संख्या 1480 (अपराध संख्या 153/1991) दिनांक 26/27 जून, 1991 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

बयान में यह भी कहा गया है कि हंडिया बस स्टैंड पर बद्री जाट की दुकान के सामने उन्हें राम नारायण, उसका बेटा कैलाश, जगदीश सरपंच, प्रेम नारायण पुत्र जगदीश, मोहन, रेवाराम, बद्री, राम भरोसे, लक्ष्मी नारायण, प्रेम नारायण और प्रहलाद जो कि इनके गांव के थे, वहां खड़े थे। इन सभी लोगों ने रमेश को पकड़ लिया । बयान में कहा गया है कि मोहन ने रमेश पर कट्टा से गोली चलायी । इन गवाहों को पहले भी बयान देने के लिए बुलाया गया था।"

31. इस पृष्ठभूमि में, पी.ड्ब्लु. 16 पी.एन. भारती, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस स्टेशन, हरदा के साक्ष्य का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। अपने बयान में, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने 23 जून, 1991 को गवाहों के बयान दर्ज किए थे। हालाँकि, इन्हें चालान के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो बयान कहां रखे गए हैं ।

32. पीडब्लू17 एमके श्रीवास्तव (आईओ) के बयान को एक बार फिर से संदर्भित करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

"61. वर्तमान मामले के संबंध में 22.06.1991 को अस्पताल में थानेदार रेठिया द्वारा एक देहाती नालीस तैयार की गई थी।थानेदार रेठिया मेरे निर्देश पर वर्तमान मामले में जांच कर रहे थे । थानेदार बैरठिया स्वतंत्र जांच नहीं कर रहे थे । थानेदार बैरठिया द्वारा हरि प्रसाद से पूछताछ कर उसी दिन हरदा अस्पताल में देहाती नालीस तैयार की गई। यह मैंरोजनामचा में प्रविष्टि संख्या 1290 दिनांक 22.06.1991 के आधार पर बता रहा हूं। उक्त देहाती नालीस को प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

62. मर्ग के संबंध में एएसआई भारती ने गवाहों के बयान दर्ज किए लेकिन उसे चालान के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है और केस डायरी के साथ भी संलग्न नहीं किया गया है। ये बयान आज कहां हैं, मैं नहीं बता सकता । यह सही है कि मर्ग अनुसंधान/पूछताछ में गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे और गवाह हरनारायण एवं महेश के बयान दिनांक 26.06.1991 को दर्ज किये गये थे तथा गवाह सीताबाई एवं कैलाश के बयान दिनांक 27.06.1991 को दर्ज किये गये थे, जो अभियोजन के विरूद्ध हैं इसलिए उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया।"

33. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष तीन अलग-अलग संस्करण लेकर आया है। पोस्टमॉर्टम मांग के अनुसार, यह आरोपी नंबर 3 जगदीश है जिसने मृतक रमेश को गोली मारी थी। पी.ड्ब्लु. 2 महेश की प्रत्यक्षदर्शी गवाही के अनुसार, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है, यह

आरोपी नंबर 1 मोहन है, जो आरोपी नंबर 2 प्रह्लाद के साथ पीछे बैठा था, जिसने मृतक को गोली मारी थी; और तीसरा संस्करण रोज़नामचा के अनुसार, 11 लोगों ने मृतक रमेश को पकड़ लिया था और आरोपी नंबर 1 मोहन ने उस पर कट्टा से गोली चलाई थी। यह रहस्यों से भरा मामला है. पी.ड्ब्लू. 2 महेश के अनुसार, उनका बयान केवल 23 जून, 1991 को दर्ज किया गया था, जिसकी पुष्टि पी.ड्ब्लू. 16 पीएन भारती, सहायक उपनिरीक्षक, हरदा ने की है। जबकि पी.ड्ब्लू. 17 एस.के. श्रीवास्तव (आईओ) के अनुसार, बयान केवल 26 और 27 जून, 1991 को दर्ज किए गए थे। पोस्टमॉर्टम अनुरोध में कहा गया है कि यह आरोपी नंबर 3 जगदीश है, जिसने मृतक रमेश पर कट्टा से हमला किया था। पीडब्लू 16 पीएन भारती का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 23 जून 1991 को उनके द्वारा दर्ज किए गए बयान कहां रखे गए हैं। पी.ड्ब्लू. 17 एस.के. श्रीवास्तव (आईओ), स्वीकार करते हैं कि देहाती नालीस थानेदार भारती द्वारा तैयार की गई थीं। हालाँकि, इसे मामले के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि कुछ गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष के खिलाफ थे और इसलिए उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया है।

34. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष घटना की वास्तविक उत्पत्ति को सामने लाने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष साफ़ हाथों से अदालत में नहीं आया है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने सही माना है कि पीडब्लू17 एमके श्रीवास्तव (आईओ) द्वारा की गई जांच निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई थी। हालाँकि, इसके बावजूद, हालांकि उच्च न्यायालय ने पंच गवाहों की गवाही पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है, उसने कथित तौर पर आरोपी नंबर 1 मोहन के कहने पर ही मोटरसाइकिल और कट्टा की बरामदगी पर भरोसा किया है। उसी पी.ड्ब्लू. 17 एस.के. श्रीवास्तव (आईओ) की गवाही के आधार पर।

35. प्रतिवादी राज्य मध्य प्रदेश की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अभिनव श्रीवास्तव का यह तर्क सही है कि दोषसिद्धि एक एकल प्रत्यक्षदर्शी की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है और इसलिए उच्च न्यायालयद्वारा पी.ड्ब्लु. 2 महेश की गवाही के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना उचित था। इस संबंध में, ***अनिल फुकन बनाम असम राज्य***[iii]के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा था:

> “3. …….दरअसल, दोषसिद्धि एक एकल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर आधारित हो सकती है और कानून या सबूत का कोई नियम नहीं है जो इसके विपरीत कहता हो, बशर्ते एकमात्र गवाह विश्वसनीयता की परीक्षा पास कर ले। जब तक एकल चश्मदीद पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह है, अदालतों को अकेले उसकी गवाही के आधार पर सजा देने में कोई कठिनाई नहीं है। हालाँकि, जहां एकल प्रत्यक्षदर्शी को पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं पाया जाता है, इस अर्थ में कि कुछ

परिस्थितियां हैं जो दिखा सकती हैं कि अभियोजन में उसकी रुचि हो सकती है, तो अदालतें आम तौर पर उसकी गवाही की कुछ स्वतंत्र पुष्टि पर जोर देती हैं, दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले, भौतिक विवरण में। ऐसा तभी होता है जब अदालतों को पता चलता है कि एकल चश्मदीद पूरी तरह सेअविश्वसनीय गवाह है कि उसकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है और किसी भी मात्रा में पुष्टि उस दोष को ठीक नहीं कर सकती है... ।"

36. यह भी समान रूप से स्थापित है कि पिछली दुश्मनी एक दोधारी तलवार है। हालाँकि, यह अपराध के लिए एक मकसद प्रदान कर सकता है, यह गलत आरोप लगाने का आधार भी हो सकता है। इस संबंध में, ***रामाशीष राय बनाम जगदीश सिंह***"के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा है:

7. ……..अब तक, यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि शत्रुता एक दोहरी धार वाली तलवार है। यह गलत आरोप लगाने का आधार हो सकता है। यह हमले का आधार भी हो सकता है. इसलिए, अदालत का कर्तव्य बनता है कि वह शत्रु गवाहों की गवाही की उचित सावधानी और परिश्रम से जांच करे। ……..”

37. विद्वान वकील श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क दिया कि केवल इसलिए कि जांच में खामियां हैं, यह आरोपी को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है, अगर रिकॉर्ड पर अन्य सबूत उपलब्ध हैं। इस संबंध में, हम ***सुनील कुंडू और अन्य बनाम झारखंड राज्य***"के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ ले सकते हैं:

“29. हमने जांच एजेंसी के नाखुश आचरण पर टिप्पणी करके शुरुआत की। हम अपने विचार की पुनः पुष्टि करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जिस तरह से इस मामले की जांच की गई उससे हम व्यथित हैं।' यह सच है कि किसी मामले की जांच में चूक या अनियमितताओं के आधार पर आरोपियों को दोषमुक्त करना पीड़ितों की कीमत पर एक अक्षम जांच एजेंसी के निंदनीय आचरण पर प्रीमियम डालने जैसा होगा, जिससे अपराध करने वालों को बढ़ावा मिल सकता है। इस कोर्ट ने निर्धारित किया है कि जांच में खामियों या अनियमितताओं को एक शर्त के अधीन नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्हें केवल तभी नजरअंदाज किया जा सकता है जब उनके अस्तित्व के बावजूद, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को दर्शाते हों और सबूत उत्तम गुणवत्ता के हों। यदि खामियां या अनियमितताएं मामले की जड़ तक नहीं जाती हैं, यदि वे अभियोजन मामले की बुनियाद को

उखाड़ नहीं देती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। इस मामले में, खामियाँ बहुत गंभीर हैं... ।"

38. वर्तमान मामला भी विसंगतियों से भरा है। गवाहों के साक्ष्य एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। जांच पूरी तरह से अनियमित तरीके से की गयी है. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, पी.ड्ब्लू. 2 महेशकी गवाही को उत्कृष्ट गुणवत्ता का नहीं कहा जा सकता है। तथाकथित बरामदगी भी पूरी तरह से अमान्य है।

39. मामले के इस दृष्टिकोण में, पी.ड्ब्लु. 2 महेश की एकमात्र गवाही पर अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कथित तौर पर आरोपी नंबर 1 मोहन द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर मोटरसाइकिल और कट्टा की बरामदगी पर भरोसा किया है। जहां तक मोटरसाइकिल की बरामदगी का सवाल है, उक्त मोटरसाइकिल जगदीश जाट के बेटे महेश, यानी आरोपी नंबर 3 के बेटे की निशानदेही पर बरामद की गई है, और वह भी 25 जून, 1991 को। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि यह आरोपी नंबर 1 मोहन के कहने पर बरामद किया गया है, रिकॉर्ड से असंगत है।

40. जहां तक आरोपी नंबर 1 मोहन की निशानदेही पर कट्टा की बरामदगी का सवाल है, इससे पता चलेगा कि गिरफ्तारी और बरामदगी दोनों 26 जून, 1991 को लगभग एक ही समय में की गई दिखाई गई हैं। पुलिस स्टेशन और जिस स्थान से कथित बरामदगी की गई है, उसके बीच की दूरी लगभग 5 किमी है। इसके अलावा, कट्टा की बरामदगी एक खुली जगह से होती है, जहां सभी की पहुंच होती है। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई पंचनामा नहीं है कि उक्त बरामदगी किस तरीके से की गई थी। इस प्रकार, उक्त बरामदगी भी संदेह से मुक्त नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

41. इसलिए हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करने के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित तर्कसंगत आदेश को उलटने में पूरी तरह से गलती की है। उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप के दायरे से बहुत आगे की यात्रा की है। अतः वर्तमान अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं। तदनुसार आदेश दिया गया है।

अपील स्वीकृत

Satya Prakash Sinha

[i](2021) 6 SCC 116

[ii](2004) 3 SCC 654

[iii](1993) 3 SCC 282

[iv](2005) 10 SCC 498

[v](2013) 4 SCC 422